



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-22 / 2017
दिनांक : 11.08.2017

परिपत्र

विद्यार्थियों की आर्थिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में छात्रावास आवंटन की सूची जारी होने तक निम्नांकित शर्तों के आधार पर विद्यार्थियों को छात्रावास में अतिथि के रूप में रहने की अनुमति दी जायेगी :

1. छात्रावास में अतिथि के रूप में रहने के लिए प्रतिदिन राशि रु 20 गेस्ट चार्ज का अडव्हांस में भुगतान करना होगा।
2. गेस्ट चार्ज पर छात्रावास में रहने की अनुमति मिलना कक्ष आवंटन की गारंटी नहीं होगी।
3. छात्रावास में कक्ष आवंटन विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही किया जायेगा।
4. फीस भुगतान का चलान प्रस्तुत करने के उपरांत ही वार्डन द्वारा विद्यार्थियों को छात्रावास में अतिथि के रूप में छात्रावास आवंटन सूची जारी होने तक रहने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि यदि विद्यार्थी को छात्रावास में कक्ष आवंटित नहीं होता है तो संबंधित विद्यार्थी को तत्काल छात्रावास खाली करना होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)

11/08/17

प्रति :

सभी छात्रावास अधीक्षक (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि,

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. वित्त विभाग
4. कुलानुशासक, 5. उपकुलानुशासक
6. अकादमिक संयोजक, 7. विश्वविद्यालय वेबसाइट, 8. संबंधित पत्रावली